Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बांसवाड़ा में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का मैनेजर एवं कार्मिक 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *28 जून।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर इकाई द्वारा आज सोमवार को बांसवाड़ा में कार्यवाही करते हुये जितेन्द्र सांखला, मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा नवागांव जिला बांसवाड़ा एवं नरेश कटारा सफाईकर्मी (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 15 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके भाई की मृत्यु होने के पश्चात् **प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना** में बीमा राशि दिलवाने की एवज में जितेन्द्र सांखला, मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा नवागांव जिला बांसवाड़ा द्वारा 25 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री हेरम्ब जोशी** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये नरेश कटारा पुत्र श्री रमणलाल कटारा निवासी नवागांव, वार्ड नं0 4, जिला बांसवाड़ा हाल सफाईकर्मी (प्राईवेट व्यक्ति) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा नवागांव जिला बांसवाड़ा को जितेन्द्र सांखला मैनेजर के कहने पर परिवादी से **15 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में जितेन्द्र सांखला पुत्र श्री बालीवाला सांखला निवासी चांदपोल चौक, जोधपुर हाल निवासी मकान नं0 15, शिव कॉलोनी, बांसवाड़ा हाल मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा नवागांव जिला बांसवाड़ा को भी गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।